उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांक : 185 /UPSG/2019
दिनाँक : 29/04/2019

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

भारत स्काडट और गाइड एसोसिएशन सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1850 के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्था हैं तथा यह गैर–राजनीतिक, वर्णभेद की भावना से रहित, असाम्प्रदायिक संगठन है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हें उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है। आन्दोलन का उद्देश्य नवयुवक/नवयुवतियों के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अन्तः शक्तियों की उपलब्धि हो, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय समुदायों के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके।

आप भिज्ञ हैं कि प्रदेश में बालक एवं बालिकाओं में साहस, स्वावलम्बन, चरित्र निर्माण तथा सेवा आदि सद्गुणों के विकास में स्काउटिंग तथा गाइडिंग की उपयोगिता एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए उ0प्र0 शासन के शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं। यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा दो ट्रेनिंग एवं एडवेंचर इंस्टीट्यूट भी चलाये जाते हैं, जो क्रमशः प्रयागराज एवं शीतलाखेत, अल्मोडा में स्थित हैं। यह संस्थाएँ काफी पुरानी होने की वजह से लगभग जर्जर हो चुकी हैं एवं इनका भी पुनर्निर्माण कर इनको वास्तव में एडवेंचर संस्थाओं के रूप में विकसित करना आवश्यक है, जिसमें काफी रिसोर्सेज की आवश्यगता होगी। आपके जिले में बालक एवं बालिकाओं में उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के अन्तर्गत प्रशिक्षण देते हुए उनका विकास करने के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. अपने जिले के Chief District Commissioner को समुचित गाइडेंस प्रदान करें ताकि वे प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें।

2. अपने जिले के बेसिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में स्काउटिंग तथा गाइडिंग दलों का अनिवार्य रूप से गठन करायें, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, प्राइवेट संस्थाओं तथा सी0बी0एस0सी0 से मान्यता प्राप्त संस्थाएँ भी सम्मिलित है। दल गठन कराने के सम्बन्ध में निर्देशों की प्रति संलग्न है।

3. यह भी अनुरोध है कि संस्था के लिए रिर्सोसेज जुटाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड के लाइफ मेम्बर बनाये जायें जिसके लिए फार्म की प्रति संलग्न है।

उक्त सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी/किसी अपर जिलाधिकारी को इसका नोडल अधिकारी भी नामित करने का कष्ट करें, ताकि वे समस्त गतिविधियों को Co-ordinate कर सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

28/04/19

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त,
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रतिलिपि – समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त,
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण

बेसिक कोर्स

↓

छः माह बाद (तीन माह की वारण्टेड सेवा पंजीकृत दल में)

↓

एडवांस कोर्स

↓

एक वर्ष बाद (स्टडी एसान्मेंट पूर्ण होने पर)

↓

हिमालय वुड बैज

↓

छः माह बाद (पार्चमेन्ट मिलने के पश्चात्)

↓

प्री0 ए0एल0टी0

↓

एक वर्ष बाद
सहायक लीडर ट्रेनर (आनरेबुल चार्ज मिलने के पश्चात् एंव
एच0डब्लू कोर्स मे सहयोग के पश्चात्)

↓

दो वर्ष बाद
लीडर ट्रेनर

प्रत्येक चार वर्ष के भीतर रि–ओरिएन्टेशन करना एवं न्यूनतम दो वयस्क शिविर का संचालन करना अनिवार्य है।

स्काउट और गाइड के अन्य कार्यक्रम

- स्वयं करके सीखना
- प्रतिज्ञा तथा नियम पालन
- चरित्र विकास
- स्वास्थ्य विकास
- हस्त कौशल
- अनुशासन एवं देश भक्ति
- सेवा
- सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
- वाहय गतिविधियां
- विशेष दक्षता कम्पास,नक्शा,भोजन बनाना,प्राथमिक चिकित्सा,अनुमान,संचार,पायनियरिंग

संगठनात्मक स्वरूप

स्का0/गा0 की एक यूनिट में न्यूनतम 12 और अधिकतम 32 सदस्य पृथक – पृथक होते हैं जो एक यूनिट लीडर जिन्हें स्काउट मास्टर एवं गाइड कैप्टन कहते हैं, के नेतृत्व मे कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहायक यूनिट लीडर पृथक – पृथक हो सकते हैं।

स्काउट/गाइड विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष व सहायक यूनिट लीडर की आयु 18 वर्ष, शैक्षिक योग्यता इण्टर की होती हैं।

स्काउट / गाइड कार्यक्रम

उम्र – न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम 17 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

10 वर्ष की उम्र से – स्काउट / गाइड आकांक्षी

से

17 वर्ष की उम्र

↓

तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात् – प्रवेश

↓

दीक्षा संस्कार

↓

छः माह बाद
प्रथम सोपान (स्का0 / गा0)

↓

छः माह बाद
द्वितीय सोपान (स्का0 / गा0)

↓

छः माह बाद
तृतीय सोपान (स्का0 / गा0)

↓

9 माह बाद
राज्य पुरस्कार (स्का0 / गा0)

↓

12 माह बाद
राष्ट्रपति (स्का0 / गा0)

इस प्रकार स्काउट / गाइड उक्त प्रशिक्षण के पश्चात् अपना व्यक्तित्व विकास करते हुये समाज के लिये एक अच्छे नागरिक के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके।

समाज सेवा के क्षेत्र मे संस्था के नैतिक कार्यो में इस प्रकार सहयोग करते हुये समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बन सकेगें।

यूनिट पंजीकृत होने के लाभ

1. बिना यूनिट पंजीकृत कराये कब/बुलबुल,स्का0/गा0,रोवर/रेजर को कोई वैधानिकता प्राप्त नही हो पायेगी।
2. योजना के कियान्वयन के लिए यूनिट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. यूनिट लीडर का कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट का पंजीकरण अनिवार्य है।
4. बच्चों के कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. यूनिट पंजीकरण होने से विधालय/जनपद/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अन्तः सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
6. कार्य को व्यवहारिक ढंग से सम्पादित होने के लिए यूनिट का पंजीकरण होना अनिवार्य है। यूनिट पजीकृत होने के पश्चात् स्काउट/गाइड रोवर रेजर को निम्नवत अवसर प्रदान हो सकेगे।

रोवर/रेंजर्स के अन्य कार्यकम

- उपराष्ट्रपति पुरस्कार
- साहसिक अभियान
- उद्देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक)
- आपदा प्रबन्धन
- खोज एवं बचाव
- यातायात नियंत्रण
- प्राथमिक सहायता
- हस्त कौशल
- सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
- राष्ट्रीय भावात्मक एकता से जुड़े कार्यकम
- सेवा शिविरों का आयोजन

संगठनात्मक स्वरूप

रोवर/रेंजर की एक यूनिट में न्यूनतम 6 अधिकतम 24 सदस्य (पृथक – पृथक) होतें है, जो एक यूनिट लीडर जिन्हे रोवर स्काउट लीडर/रेजर लीडर कहते हैं, के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट मे यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहाययक यूनिट लीडर (पृथक – पृथक) हो सकते हैं।

रोवर/रेंजर विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 25 वर्ष,सहायक यूनिट लीडर की आयु 21 वर्ष , शैक्षिक योग्यता स्नातक की होती हैं।

रोवर /रेंजर कार्यक्रम

उम्र – न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

15 वर्ष की उम्र से– रोवर/रेंजर आकांक्षी
से
25 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात्

↓

दीक्षा संस्कार

↓

छः माह बाद

↓

निपुण प्रशिक्षण

↓

नौ माह बाद

↓

राज्य पुरस्कार (रोवर/रेंजर)

↓

एक वर्ष बाद

↓

राष्ट्रपति (रोवर/रेंजर)

25 वर्ष से 35 वर्ष तक – रोवर/रेंजर (सेवा में)

– समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के नैत्यिक कार्यो में इस प्रकार सहयोग करना जिससे इनका स्वयं के व्यक्तित्व का स्थायीकरण हो तथा आर्थिक रूप से सबल हो।

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

गोल मार्केट महानगर, लखनऊ

Fax No. 0522–2332928
☎ 0522–2332928
E.Mail :upscoutsguides@yahoo.com

आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

मै.....पिता / पति / अभिभावक.....

पता.....

.....

आजीवन सदस्यता हेतु निर्धारित शुल्क रू0.....

का भुगतान ड्राफ्ट सं0.....तिथि.....बैंक.....

द्वारा जमा कर रहा हूँ/ रही हूँ। (शुल्क RTGS के माध्यम से संस्था के खाते में जमा कराई जा सकती है। खाते का विवरण * है)

अनुरोध है कि प्रदेश संस्था हेतु .आजीवन. सदस्यता स्वीकार करने की कृपा करें। मेरा अन्य विवरण निम्नवत है:–

1. शैक्षिक योग्यता .....
2. स्काउटिंग / गाइडिंग योग्यता .....
3. व्यवसाय .....
4. जन्म तिथि .....
5. आवेदक द्वारा स्काउटिंग / गाइडिंग के क्षेत्र में किये गये कार्यो का संक्षिप्त विवरण :–

   .....

   .....
6. पत्राचार का पता .....
7. मो0 नं0 / लैण्डलाइन / व्हाट्सअप .....
8. ई – मेल .....
9. आधार नं0 .....

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**

हम संस्तुति करते हैं कि उपरोक्त आवेदक को प्रदेशं संस्था में आजीवन सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाय।

1. हस्ताक्षर तिथि सहित .....
2. सदस्य का नाम .....
3. सदस्यता की कोटि .....

1. हस्ताक्षर तिथि सहित .....
2. सदस्य का नाम .....
3. सदस्यता की कोटि .....

नोटः– 1– उपरोक्त आवेदन पत्र, निम्नाकिंत में किसी दो के द्वारा संस्तुत किया जायेगा–

1. प्रादेशिक परिषद के पदाधिकारी / सदस्य।
2. मण्डलीय समिति के पदाधिकारी / सदस्य
3. जिला संस्था के पदाधिकारी / सदस्य।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।

2– आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 5000 / –

(*) खाता संचालक	प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड, लखनऊ
खाता संख्या	10122401342
बैक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक, निषातगंज, लखनऊ
आई0एफ0सी0 कोड	**SBIN0003223**

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

कब/बुलबुल (पैक/फ्लाक), स्काउट/गाइड (दल/कम्पनी), रोवर/रेंजर (क्रयू/टीम)
के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय द्वारा भरा जायेगा
पंजीकृत संख्या .....
यूनिट/ग्रुप का नाम
.....
तिथि .....

जिला ..... मण्डल.....

तिथि जब दल पहली बार प्रारम्भ किया गया .....

यूनिट/ग्रुप का पूरा नाम .....

यूनिट/ग्रुप का पता .....

यूनिट/ग्रुप स्वतंत्र है अथवा किसी स्कूल या संस्था से नियंत्रित है .....

यूनिट/ ग्रुप के संचालक का नाम .....योग्यता .....मो0.....

संख्या

कब		स्काउट		रोवर		स्काउटर				
बुलबुल		गाइड		रेन्जर		गाइडर		योग		

ह0 संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या अथवा ग्रुप कमेटी के प्रधान

ह0 यूनिट/ग्रुप का अधिकारी

हस्ताक्षर
जिला सचिव/जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), संबधित जनपद

चेक किया एवं सही पाया

स्वीकार किया

सहा0 प्रा0 संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड)
सम्बंधित मण्डल

प्रादे0 संग0 कमि0 (स्काउट/गाइड)

प्रादेशिक सचिव

(1) कब/बुलबुल (24 सदस्यीय) **(क) पंजीकरण शुल्क**

कम सं0	पंजीकरण शुल्क (प्रथम बार)	कुल योग (रूपयो में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	35.00	15.00	20.00
2	कब/बुलबुल पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 10/– प्रति सदस्य की दर से)	240.00	(24X9)216.00	24X1 =24.00
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	105.00	100.00	05.00
	योग	380.00	331.00	49.00

(ख) नवीनीकरण शुल्क

कम सं0	नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	20.00	NIL	20.00
2	कब/बुलबुल नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 10/– प्रति सदस्य की दर से)	240.00	(24X9) 216.00	24X1 =24.00
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	105.00	100.00	05.00
	योग	365.00	316.00	49.00

(2) स्काउट/गाइड (32 सदस्यीय) (क) पंजीकरण शुल्क

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	स्काउट/गाइड पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 20/– प्रति सदस्य की दर से)	640.00	576.00 रू018/–प्रति दर से	64.00 (रू0 2/–प्रति की दर से)
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	820.00	701.00	119.00

(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)

कम सं0	(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	NIL	NIL	NIL
2	स्काउट/गाइड नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 20/– प्रति सदस्य की दर से)	640.00	576.00 रू018/–प्रति की दरसे	64.00
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	770.00	676.00	94.00

(3) रोवर/रेंजर (24 सदस्यीय) (क) पंजीकरण शुल्क

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	रोवर/रेंजर पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/– प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/–प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/–प्रति की दर से)
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	780.00	629.00	151.00

(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)

कम सं0	(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	NIL	NIL	NIL
2	रोवर/रेंजर नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/– प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/–प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/–प्रति की दर से
3	यूनिट लीडर नवीनीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	730.00	604.00	126.00

नोट– स्काउट/गाइड के यदि 16 सदस्यीय दल बनाएं जायेंगे तो केवल कोटामनी का शुल्क कम होगा।